<u>प्रतिवेद्य</u>

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

<u>सिविल अपील सं. 3409-3410/2019</u>

(एस.एल.पी. सं. 28166-28167/2018 से उत्पन्न)

नूतन गौतम .....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

प्रकाश गौतम ..... प्रत्यर्थी (गण)

<u>निर्णय</u>

<u>न्यायमूर्ति, आर. सुभाष रेड्डी</u>

(1) अनुमति प्रदान की गई।

(2) इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रथम अपील सं. 316/2018 के दिनांकित 21. 05. 2018 और 20. 08. 2018 के आदेशों से व्यथित होकर प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा दाखिल की गई हैं.

<u>अस्वीकरण</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(3) अपीलार्थी-पत्नी और प्रत्यर्थी-पति का विवाह वर्ष 2006 में अनुष्ठापित किया गया था। 2009 में एक पुत्र उनसे पैदा हुआ था जिसका नाम कृष उर्फ मास्टर कृषव गौतम रखा गया था. वर्ष 2012 में, प्रत्यर्थी-पति ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (ia) (iii) के अधीन विवाह-विच्छेद के लिए याचिका फाइल की थी. उक्त विवाह-विच्छेद याचिका प्रत्यर्थी-पति के पक्ष में विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से डिक्री कर दी गई थी. विचारण न्यायालय ने यह भी निदेश दिया कि अपीलार्थी के पुत्र अर्थात् कृष मास्टर कृषव गौतम, को कर्नल सत्संगी के किरण स्मारक पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली में भर्ती कराया जाना चाहिए।

(4) एक-पक्षीय आदेश से दुखी होकर, अपीलार्थी ने इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के समक्ष का प्रथम अपील सं. 316/2018 दायर किया। परिवार न्यायालय के आदेश के अनुसार, पक्षकारों के बेटे को कर्नल सत्संगी के किरण मेमोरियल पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली में भर्ती कराया गया है और उसे स्कूल के बोर्डिंग हाउस में रखा गया है। 21. 05. 2018 के अंतरिम आदेश के माध्यम से, जो इन अपीलों में आक्षेपित किया गया है, प्रतिवादी-पति को 2018 की गर्मियों की छुट्टियों की शुरुआत तक लड़के को अपने साथ दिल्ली ले जाने और बोर्डिंग हाउस में छोड़ने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, अपीलकर्ता-माँ को गर्मी की छुट्टियों में बच्चे को लेने और स्कूल को फिर से शुरू होने से पहले स्कूल/बोर्डिंग हाउस में छोड़ने की अनुमति दी गई थी।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(5) परिवार न्यायालय ने अपीलार्थी पत्नी के भरण-पोषण की ओर रु. 10,000/- प्रति माह की रकम अधिनिर्णीत की है प्रतिवादी-पति की दलील के मद्देनजर कि अपीलकर्ता-पत्नी केवल एक मंच से रखरखाव के लिए हकदार है, अपीलकर्ता-पत्नी को एक मंच चुनने के लिए निर्देशित किया जाता है, जिससे वह रखरखाव प्राप्त करना चाहती है।

(6) गर्मियों की छुट्टी में स्कूल को फिर से खोलने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि लड़का, कृष @ मास्टर कृशव गौतम, कर्नल सत्संग के किरण मेमोरियल पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली में बोर्डिंग हाउस में अध्ययन करने के लिए तैयार नहीं था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी माता को आदेश दिनांक 20. 08. 2018 को आदेश दिनांक 21. 05. 2018 का पालन करने के लिए पंद्रह दिनों का समय दिया गया था।

(7) हमने, अपीलार्थी-पत्नी के लिए उपस्थित होने वाले विद्वत अधिवक्ता श्री हरिकुमार वी. को और प्रत्यर्थी-पति के लिए उपस्थित विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बसंत ने को सुना।

(8) अपीलार्थी-पत्नी के विद्वत अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि वह लड़का अपनी मां से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है और कर्नल सत्संगी के किरण मेमोरियल पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली में अध्ययन करने के लिए तैयार नहीं है और वह अपने पुराने स्कूल में अध्ययन करने का इरादा रखता है, तदनुसार, उन्हें ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल, शाहजहाँपुर में भर्ती कराया गया,

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

जहां वे अपनी पढ़ाई में सहज महसूस करता हैं। यह बार में प्रस्तुत किया जाता है कि बच्चे के कल्याण के रूप में ध्यान देने योग्य विचार है और वह शहजाहाँपुर में ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल में अध्ययन के दौरान अपने अध्ययन को प्रारम्भ करके में अच्छा है, और उन्होंने आक्षेपित आदेश को अपास्त करने और लड़के को उसी स्कूल में अध्ययन को जारी रखने की अनुमति देने का अनुरोध किया।

(9) दूसरी ओर, प्रतिवादी के लिए उपस्थित विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बसंत ने प्रस्तुत किया है कि प्रत्यर्थी अपने बेटे को दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ स्कूल में रु. 2, 00,000/- (दो लाख रुपए) से अधिक की फीस का भुगतान करने के लिए तैयार है और यह बच्चे के हित और कल्याण में है कि वह केवल कर्नल सत्संगी के किरण मेमोरियल पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली में अध्ययन करने की अनुमति दे। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बोर्डिंग हाउस/स्कूल नई दिल्ली को फिर से खोलने के बाद में लड़के के शामिल होने के लिए एक विशिष्ट निर्देश थे। अपीलकर्ता-पत्नी ने दिनांक 21. 05. 2018 और आगे के आदेश दिनांक 20. 08. 2018 का उल्लंघन किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बच्चे की इच्छा स्वयं एक मानदंड नहीं है और कर्नल सत्संग के किरण मेमोरियल पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली में उसे स्वीकार करके बच्चे के कल्याण की सर्वोत्तम सेवा की जाएगी।

(10) हमने दोनों पक्षों के विद्वत अधिवक्ताओं को सुना है, 21. 05. 2018 और 20. 08. 2018 दिनांकित जारी आदेश और अभिलेख की अन्य सामग्रीयों का अवलोकन किया है।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(11) पक्षकारों के बीच हुए मतभेदों को ध्यान में रखते हुए, अभिलेख की सामग्रियों से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी-पति ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (ia) (iii) के अधीन विवाह-विच्छेद के लिए याचिका दाखिल की है, जो वर्ष 2012 में एकपक्षीय ड्रिक्री है और उस आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है अपीलकर्ता-पत्नी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में अपने पैतृक घर में रह रही है। लड़का ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश में पढ़ रहा है, जबकि एक-पक्षीय डिक्री की अनुमति से ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रायल कोर्ट ने निर्देश दिया कि उनके बेटे को कर्नल सत्संग के किरण मेमोरियल पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली में भर्ती कराया जाए। इस तरह की दिशा के मद्देनजर, यह प्रतीत होता है कि लड़के को नई दिल्ली में उक्त स्कूल में भर्ती कराया जाय और 2018 की गर्मियों की छुट्टी में अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा ले जाने की अनुमति दी गई थी।

(12) यह सही है कि आदेश दिनांक 21. 05. 2018 में प्रत्यर्थी के पुत्र को लेने और उसे कर्नल सत्संगी के किरण मेमोरियल पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली में बोर्डिंग हाउस में शामिल होने की अनुज्ञा दी गई थी और अपीलार्थी-पत्नी को गर्मियों की छुट्टी में लड़के की अभिरक्षा लेने और यह सुनिश्चित करने की अनुज्ञा दी गई थी कि वह गर्मियों की छुट्टी के पश्चात् बोर्डिंग हाउस में वापस भेज देती है यह अपीलकर्ता का मामला है कि गर्मी की छुट्टी के बाद लड़का बोर्डिंग हाउस/स्कूल जाने के लिए इच्छुक नहीं था और केवल अपने पुराने स्कूल, ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल, शाहजहाँपुर में ही अध्ययन करना चाहता था। यह भी विवाद में नहीं है कि बच्चा पहले उसी स्कूल में पढ़ रहा था जहां

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

उसे अब आगे की पढ़ाई के लिए भर्ती किया गया है। हमें अब सूचित किया जाता है कि उन्होंने अब कक्षा-3 को उत्तीर्ण कर लिया है और लगभग 10 वर्ष की आयु है। यह स्वाभाविक है, उस उम्र का एक लड़का, जिसने शाहजहाँपुर में स्कूल में पहले पढ़ाई की है, उसी स्कूल में जारी रखने के लिए तैयार है, जितना कि वह ऐसे स्कूल के वातावरण से लगाव है जहाँ उसने पहली कक्षा की अपनी पढ़ाई शुरू की है। इस अदालत ने लड़के के साथ भी बातचीत की और लड़के ने केवल शाहजहाँपुर स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। जब लड़का कर्नल सत्संगी के किरण मेमोरियल पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली में अध्ययन करने और बोर्डिंग हाउस में रहने के लिए इच्छुक नहीं है, तो हमारा विचार है कि बच्चे के कल्याण के हित में, उसे बोर्डिंग हाउस के साथ संलग्न कर्नल सत्संगी के किरण मेमोरियल पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली में प्रवेश के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस तरह के मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता-पत्नी ने 21. 05. 2018 और 20. 08. 2018 के उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा जारी किए गए निर्देश का उल्लंघन किया है।

(13) आक्षेपित आदेश के पूर्ण अवलोकन से, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने लड़के के विचारों का पता लगाया है और यह अभिलिखित किया है कि वह बहुत अधिक संबद्ध है और उसकी माता (यहां अपीलार्थी) के प्रति अधिक सहबद्ध है इस मामले के मद्देनजर, हमारी राय है कि बच्चे, अर्थात्, कृष @मास्टर कृषव गौतम को नई दिल्ली में कर्नल सत्संग के किरण मेमोरियल पब्लिक स्कूल में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। हम इस आगे विचार यह हैं कि केवल बच्चे के हित और कल्याण में कृष @मास्टर

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

कृषव गौतम को ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल, शाहजहाँपुर में अपना अध्ययन जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।

(14) इसके अतिरिक्त, आक्षेपित आदेश में, अपीलार्थी-पत्नी को एक ऐसा मंच चुनने का निदेश दिया जाता है जिससे वह भरण-पोषण करना चाहती है जैसा कि कानून के अनुरूप भी नहीं है, उक्त निर्देश अपास्त करने के लिए उत्तरदायी है। तदनुसार आदेश दिया जाता है।

(15) चूंकि प्रत्यर्थी-पति बच्चे का एक स्वाभाविक पिता है, अर्थात्, कृष @मास्टर कृषव गौतम, वह उससे मुलाक़ात के अधिकारों का भी हकदार है। हम प्रत्यर्थी-पति को उसके बच्चे से मिलने की अनुमति देते हैं और वह जब भी वह शाहजाहाँपुर आता है, किसी रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिन अपीलार्थी के सदन से बच्चे को लेने का हकदार है. अपीलकर्ता-पत्नी बच्चे को प्रतिवादी-पिता के साथ सुबह 09:00 बजे ले जाने की अनुमति देगी, और प्रतिवादी-पति उसी दिन शाम 06:00 बजे से पहले अपीलकर्ता-पत्नी के घर पर बच्चे को वापस करने की अनुमति दी जाती है। आवागमन अधिकारों के किसी भी और संशोधन के लिए प्रतिवादी-पिता उचित आवेदन के साथ उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र हैं और बच्चे के कल्याण को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।

(16) पूर्वोक्त कारणों से, प्रथम अपील सं. 316/2018 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित 21. 05. 2018 और 20. 08. 2018 के आदेश

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अपास्त किए जाते हैं। हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह कानून के अनुसार अपील का निपटान शीघ्रता से करे।

(17) परिणामतः, अपीलों को निर्देशों के साथ अनुमति प्रदान किया जाता है कोई लागत नहीं।

.....

(न्यायमूर्ति, आर. भानुमति)

.....

(न्यायमूर्ति, आर. सुभाष रेड्डी)

नई दिल्ली,

05, अप्रैल 2019

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।